भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 734028

समक्ष – जिला स्वास्थ्य समिति, रामपुर

वाहन अनुबन्ध

1) एन0एच0एम0 के अन्तर्गत पर्यवेक्षण कार्य हेतु जिला स्तर पर 2 तथा ब्लाक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर एक एक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु मौ0 फिरोज मौहम्मद को अनुबंधित किया गया है।

2) अनुबंधित फर्म को केवल टैक्सी परमिट वाहन ही उपलब्ध कराने होंगे जो बुलेरो, टाटा सूमो, जाइलो, जेस्ट, टाइप के वाहन होने चाहिए जिनमें चालक सहित 5 व्यक्ति आराम से बैठ सकें तथा आवश्यक सामग्री भी ले जायी जा सके।

3) वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना न हो। अनुबंध अवधि में पांच वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके वाहन के स्थान पर दूसरा उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराना होगा।

4) अनुबन्धकर्ता को वाहनों की सूची, समस्त कागजात, वाहन चालक का समस्त विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। चालक के पास टैक्सी परमिट ड्राईविंग लाइसेन्स होना आवश्यक है।

5) उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों में जी0पी0आर0एस0 का कम्पलीट अपडेट सिस्टम हर समय सक्रिय होना आवश्यक है। यह सिस्टम अनुबन्धकर्ता द्वारा अपने व्यय पर लगाया जायेगा।

6) प्रत्येक वाहन की एक अलग लागबुक बनायी जायेगी। जिसे अपडेट रखा जायेगा

Chief Medical Officer
Rampur

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर0सी0एच0, रामपुर

जिसकी केन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित प्रति बिल के साथ प्रतिमाह प्रस्तुत करनी होगी।

7) प्रत्येक माह का किराया निविदा पर रू0- 24690.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। (24690.00) किराया भुगतान के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी।

8) वाहनों का मेंटिनेन्स, ईधन, चालक का वेतन, एवं अन्य समस्त व्यय एवं टैक्स आदि का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा।

9) प्रत्येक वाहन को प्रतिमाह अधिकतम 1500 कि0मी0 चलाया जायेगा तथा माह में कम से कम 25 दिन अवश्य प्रयोग किया जायेगा। माह में 25 दिन से कम चलाये जाने पर अनुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा।

10) सामान्तः वाहन का चालन क्षेत्र सम्बंधित ब्लाक/जनपद रामपुर होगा किन्तु विशेष परिस्थिति में वाहन को ब्लाक/जनपद से बाहर की भेजा जा सकता है।

11) किसी वाहन के खराब होने या किसी अन्य कारणों से उपलब्धता न होने पर अनुबन्धकर्ता को तत्काल दूसरा वाहन उपलबध कराना होगा किन्तु यह स्थिति एक सप्ताह से अधिक नहीं रहनी चाहिए। अन्यथा रूपये 500/- प्रतिदिन की दर से पैनालटी देनी होगी।

12) वाहन की तैनाती जिस ब्लाक/केन्द्र पर होगी उस वाहन को उसी केन्द्र पर उपलब्ध रखा जायेगा तथा केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार सेवायें देनी होगी।

13) यहकि अनुबन्ध अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। किन्तु शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आने पर अनुबंध कभी भी समाप्त कि जा सकता है।

14) वाहन का किराया भुगतान वाहन के वास्तविक रूप से कार्य करने की तिथि से देय होगा।

15) भुगतान मासिक आधार पर एवं बैंक खातों के माध्यम से ही किया जायेगा। बजट उपलब्ध न होने पर भुगान में विलम्ब हो सकतास है। प्रत्येक भुगतान पर टी0डी0एस0 की नियमानुसार कटौती की जायेगी। अनुबन्धकर्ता का चालू बैंक खाता होना चाहिए।

16) किसी भी विवाद की स्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति रामपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

गवाहानः-

1)

2)

Chief Medical Officer
Rampur 30/4/18

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर०सी०एच०, रामपुर

NOTARY
RAMPUR U.P.
30.04.18

S. No. 05 Date 30.04.18

Supportive supervision Vehicle Hiring - Block wise Information 2018-19

S.N.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Moradabad	Rampur	Bilaspur	UP22 Y 9038	1/5/2018	Yes
			Chamraua	UP22 R 9355	1/5/2018	Yes
			Rajpura	UP22 V 6880	1/5/2018	Yes
			Saidnagar	UP22 AT 1487	1/5/2018	Yes
			Shahbad	UP22 AT 1015	1/5/2018	Yes
			Swar	UP22 W 8335	1/5/2018	Yes

Supportive supervision Vehicle Hiring - District level Information 2018-19

S.N.	Name of District	Name of Agreement signing officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Rampur	CMO RAMPUR	UP22 AT 2217	1/5/2018	UP22 AT 1066	1/5/2018	Yes

नोटः— दिनांक 1 मई 2018 से पूर्व विगत वर्ष के वाहन सेवाप्रदाता के द्वारा वाहन उपलब्ध कराये गये थे।

Chief Medical Officer
Rampur